



एक कदम पारदर्शिता की ओर  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**  
न्यूजलेटर - फरवरी - 2022



**National Commission For Scheduled Castes**

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi-110 003

# राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 01 अंक: 10 फरवरी 2022

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई-मेल : [singh.rr9@gmail.com](mailto:singh.rr9@gmail.com)

[@srajeshranjan](https://twitter.com/srajeshranjan)

National Commission  
for Scheduled Castes



SHRI ARUN HALDER  
VICE-CHAIRMAN



DR. ANJU BALA  
MEMBER



SHRI SUBHASH RAMNATH  
PARDHI, MEMBER

गत माह हमने संत श्री रविदास जी की जयंती मनाई। संत श्री रविदास जी उस समय समाज में फैली जात-पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों से अत्यंत दुःखी थे। समाज से इन बुराइयों का समूल नाश करने के लिए संत श्री रविदास जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। उनकी रचनाएं समाज के चहुंमुखी विकास एवं उद्धार के लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उन्होंने लोगों को पाखण्ड एवं अंधविश्वास छोड़कर सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी समाज की विषमताओं को कम करने के लिए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग एवं विचारों का प्रचार-प्रसार कर रहा है। सबको सामाजिक न्याय मिले और ऊंच-नीच की भावना का समूल नाश हो, की विचारधारा को अपनाते हुए पत्रिका के माध्यम से आप लोगों तक इस कार्यकाल में आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को पहुंचा रहे हैं। यह पत्रिका का दसवां अंक है।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के  
लिये संपर्क करें:

**011 - 24620435 & 24606802**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi - 110003

website: <http://ncsc.nic.in>

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

<https://ncsc.negd.in/>



@NCSC\_GoI



@NCSC.GoI



@ncsc\_goi

# माननीय उपाध्यक्ष का संदेश

**'जाति-जाति में जाति हैं, जो केलन के पात,  
रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात'**

अर्थात् जिस प्रकार केल के तने को छिला जाये तो पत्ते के नीचे पत्ता फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता है और पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग-अलग बंट जाता है और अंत में इंसान का भी अंत हो जाता है लेकिन यह जाति है जो समाप्त नहीं होती है।

इसलिए संत श्री रविदास जी कहते हैं जब तक ये जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ाव महसूस नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समाज भी इस कुरीति से त्रस्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने का भरसक प्रयास कर रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका के दसवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग इस पत्रिका के माध्यम से बाबा साहेब और संत श्री रविदास जी जैसे महामानवों द्वारा दिखाए गए सामाजिक समरसता और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए। इस कार्य में ये पत्रिका प्रभावी भूमिका निभाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है।

यह जानकर संतोष होता है कि इस वर्ष भी कोविड-19 महामारी संक्रमण के तीसरे लहर के कारण कार्य प्रभावित होने के बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने का भरसक प्रयास किया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान आयोग के कार्यकलाप भी काफी सीमा तक प्रभावित हुए लेकिन आयोग ने ऑनलाइन पद्धति से अपने कार्यों का निर्वहन किया। अब आयोग ने भारत सरकार की कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया है। अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आयोग देश के कई राज्यों में स्थलीय जांच से लेकर से लेकर सुनवाई तक का कार्य कर रहा है। आयोग अपना कार्य और भी प्रभावी रूप से कर सके, इसके लिए आपका सहयोग वांछनीय है।

होली की हार्दिक शुभकमनाएं!

जय हिंद !

सादर धन्यवाद



**SHRI ARUN HALDER  
VICE-CHAIRMAN**

## अरूण हालदार

कार्यकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार



# स्थलीय जांच



## कॉलेज के छात्र की मौत की घटना पर उपाध्यक्ष का हैदराबाद दौरा



हैदराबाद में कॉलेज के छात्र की मौत की घटना पर संज्ञान लेते हुए आयोग के एक दल ने स्थलीय जांच की। माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी की अध्यक्षता में पहुंची टीम ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि छात्र विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में था और फ्रेशर्स पार्टी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। माननीय उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित के परिवार से मिले। साथ ही संबंधित कॉलेज प्रशासन, पुलिस विभाग, हैदराबाद की कानून व्यवस्था की सख्ती से समीक्षा की। इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष ने हैदराबाद के अनुसूचित जाति संगठन में राज्य के

मुख्य सचिव, डीजीपी एवं कमिश्नर के संग बैठक की। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच कर तेलंगाना के राज्य कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।



राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने तेलंगाना का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार के हैदराबाद पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन व राज्य कार्यालय के अधिकारियों द्वारा फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया।



## समीक्षा बैठक



## केनरा बैंक की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने कर्नाटक में समीक्षा बैठक के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। इस दौरे की अध्यक्षता आयोग के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने की। बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक की समीक्षा बैठक के लिए बुलाई गई इस बैठक में बैंक के शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में केनरा बैंक में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए निर्देश दिये गए। साथ ही अनुसूचित जाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। इससे पहले माननीय उपाध्यक्ष के बेंगलुरु पहुंचने पर केनरा बैंक के उच्च अधिकारियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार जी का स्वागत किया।

## आयोग ने किया बिहार राज्य का दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने बिहार राज्य का दौरा किया। इस दल की अगुवाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला जी ने की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या ने आयोग के बिहार दौरे के दौरान पटना क्षेत्र के IOCL, HPCL, BPCL एवं GAIL विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

बिहार राज्य के दौरे के दौरान माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने पटना क्षेत्र के बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी समीक्षा बैठक की और कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की।



## लोगों की समस्याएं सुनी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में लोगों की जन समस्याएं सुनीं। इसके बाद माननीय सदस्य ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों का निस्तारण किया।



## जनसुनवाई



### प्रार्थियों से मिलते माननीय उपाध्यक्ष

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में आये हुए व्यक्तियों से माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार मिले। इस दौरान प्रार्थियों ने अपनी दयनीय स्थिति से माननीय उपाध्यक्ष को अवगत कराया। सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी व आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष ने शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

### नई दिल्ली मुख्यालय में जनसुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आये हुए लोगों की जन समस्याएं सुनीं। इसके बाद माननीय सदस्या ने उनके शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर न्यायोचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया।



### समस्याएं निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने अनुसूचित जाति वर्ग लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों की समस्याएं सुनने के पश्चात माननीय सदस्य ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निपटान के संबंध में निर्देश जारी किए।





News / India / National Commission for Schedule Caste finds merit in Sameer Wankhede's complaint

# National Commission for Schedule Caste finds merit in Sameer Wankhede's complain

Sameer Wankhede had approached NCSC with a complaint that he was being targeted as he belongs to mahar community. An SIT was formed to look into the allegations.



File pic of Sameer Wankhede.

Listen to this article now

The National Commission for Schedule Caste (NCSC) has directed the Maharashtra government to file an FIR under SC/ST POA (prevention of atrocities) Act on the complaint filed by Sameer Wankhede, former zonal director of NCB Mumbai unit.

Sameer Wankhede had approached NCSC with a complaint that he was being targeted as he belongs to mahar community and was handling high-profile cases. An SIT was formed to look into the allegations.

The NCSC has recommended disbanding of the SIT. The NCSC has also ordered not to harass the petitioner and his family in the name of inquiry.

Sameer Wankhede had approached NCSC with a complaint that he was being targeted as he belongs to mahar community and was handling high-profile cases. An SIT was formed to look into the allegations.

दस्तावेजों की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

Published: February 12, 2022 10:52 PM IST

By India.com Hindi News Desk Edited by Laxmi Narayan Tiwari

Share Tweet Comments



(फाइल फोटो)

Samir Wankhede, Mumbai, NCB, Nawab Malik मुंबई: मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख (former Mumbai NCB chief) समीर वानखेड़े (Samir Wankhede) के जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के आरोपों के बाद तूल पकड़े मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने कहा, उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया (prima facie) अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, लेकिन जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट का

हीम चारण मन्तेरवन कोरेना चुपना 2022 चर्च साइबरदास वैभव चैक वीडियो पेटो खेल निवनेस चुर्न

विधानसभा चुनाव 2022

CD-POWERED BY ASSOCIATE SPONSOR

Hindi News / भारत / दिल्ली

## नई दिल्ली: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, ये था मामला

नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से बड़ी राहत मिली है. आयोग ने माना है कि वानखेड़े अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं. दरअसल, महाराष्ट्र एनसीबी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने उनके खिलाफ आरोप लगाया था कि वानखेड़े मुस्लिम थे, वे अनुसूचित जाति महार समुदाय के नहीं थे.



समीर वानखेड़े - फाइल फोटो

सुर्न

अरविंद जोड़ा

नई दिल्ली, 13 फरवरी 2022, (संवाद) 11:42 PM IST

स्टेरी हाइलाइट्स

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी है. आयोग ने माना है कि वानखेड़े अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं.

THE TIMES OF INDIA

India Coronavirus Outbreak Opinions And Features Times Evolve Maharashtra Delhi Karnataka Tamil Nadu Telangana Uttar Pradesh

TOP SEARCHES Omicron Variant in India Elections 2022 Covid Cases in India PM Modi Fodder Scam Case Yogi Adityanath Corbeva Vaccine

NEWS / INDIA NEWS / Wankhede SC As Per Documents, Book Maharashtra Minister Malik: National Panel

## Wankhede SC 'as per documents', book Maharashtra minister Malik: National panel

Swati Deshpande / TNN / Updated: Feb 12, 2022, 08:27 IST

MUMBAI: Former Narcotics Control Bureau (NCB) zonal director Sameer Wankhede "belongs to the SC (scheduled caste) as per the available documents," said National Commission for Scheduled Castes (NCSC) in its reasoned order released on Friday. NCSC recommended that an FIR be registered on a complaint filed by Wankhede against the conduct and alleged harassment by Maharashtra cabinet minister Nawab Malik

TV LATEST ELECTIONS COVID BUDGET INDIA VIDEO OPINION WORLD OFFICIAL

Belongs To Scheduled Caste As Per Documents, Panel

## Officer Belongs To Scheduled Caste As Per Documents: Panel

by Maharashtra minister Nawab Malik that Sameer Wankhede had forged his caste certificate, the officer had last November presented his original caste certificate to the

February 13, 2022 12:11 am IST



Sameer Wankhede forged his caste certificate. (FILE)

Image tweeted by @ANU

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant

Commission for Scheduled Castes (NCSC) has stated that Sameer Wankhede prima facie "belongs to the SC as per the available documents but maintained that the caste certificate scrutiny committee is awaited.

of harassment, the NCSC has recommended the relevant sections and stated that the investigation should be conducted by the police officer, not below the rank of assistant





राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष माननीय श्री अरुण हालदार जी नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में एक मामले की सुनवाई करते हुए। (ऊपर)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मुख्यालय में आयोजित बैठक में माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्य डॉ. अंजू बाला, माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह शामिल रहे। (नीचे)



**National Commission For Scheduled Castes**  
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi-110 003